न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 265 / 14 निर्णय दिनांकः– 09-10-2023
(जीसीएमएस सख्या 2014 / 00117)

1. रामधन पुत्र खेताराम जाति नाई निवासी ग्राम बादनूँ तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01–05–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रेमप्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 01–05–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 3 बीडीएम के मुरब्बा नम्बर 23/06 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मुरब्बें के आवंटन हेतु अपीलांट के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र उक्त भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गंया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंदन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे अन्यथा अपीलांट को पात्रता अनुसार समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–05–1999 के विरुद्व अपील दिनांक 22–04–14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्य को उक्त भूमि आवंटित होने के आधार

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

6. **(1)** जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—05—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 22—12—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

**(2)** अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि 3 बीडीएम के मुरब्बा नम्बर 23/06 की भूमि बतौर विशेष आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अन्य को आवंटित है, ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र पर आवंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

**(3)** इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा चक 3 बीडीएम के मुरब्बा नम्बर 23/06 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर पर अपीलांट के आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट को उसके द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। विशेष आवंटन में अन्य भूमि आवंटन के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के आवेदन को इस आधार पर कि उनके द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर आवंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से इसी आधार पर खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 01—05—1999 यथावत बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जांकर आज दिनांक 9.10.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर